मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण/अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण/फैक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या-40/2015

दिनांकःलखनऊःमई 25 2015

सेवा मे,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश ।

इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-24/2015 दिनॉक 15-4-2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश आप सभी को अनुपालन हेतु प्रेषित किये गये थे परन्तु मेरे संज्ञान में पुनः यह तथ्य लाया गया है कि आप सभी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों/निर्देशों का अभी भी अनुपालन सुनिश्चित न करते हुए सूचनाओं को बिना पुष्ट किये प्रेषित की जा रही हैं जो अत्यन्त आपत्तिजनक है ।

2- क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या-13240/2015 नदीम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य सम्बन्धित मु0अ0सं0 40/2015 धारा 302/307 भा0द0वि0 थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त का आपराधिक इतिहास सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यह लिखकर मा0 उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दिया कि "Applicant has no criminal history" जबकि शिकायतकर्ता के अधिवक्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया कि उसके विरूद्ध 02 मुकदमे जनपद गाजियाबाद में तथा 06 अन्य जनपद में पंजीकृत थे । इस प्रकार सरसरी तौर पर बिना तथ्यों की पुष्टि किये मा0 उच्च न्यायालय को जो सूचना प्रेषित की गयी उसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अविलम्ब अनुशासनात्मक कार्यवाही करके मुझे अवगत कराया जाय ।

3- आप सभी को पुनः यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में यदि किसी अभियुक्त का आपराधिक इतिहास मा0 उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय को प्रेषित किया जाना हो तो, सूचना प्रेषित करने के पूर्व जनपद के समस्त थानों सहित डी0सी0आर0बी0/एस0सी0आर0बी0 से सम्बन्धित अभियुक्त के अपराधिक इतिहास से सम्बन्धित प्रमाणिक सूचनाएं प्राप्त कर सुनिश्चित कर लिया जाय कि अभियुक्त के सम्बन्ध में जो सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं वह पूर्णतया सत्य है, तदोपरॉत ही अपेक्षित सूचनाएं मा0 न्यायालयों को भेजी जाय । यदि मेरे संज्ञान में अब यह तथ्य आता है कि मा0 न्यायालयों में सही/पुष्ट सूचनाएँ प्रेषित नहीं की जा रही हैं तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

(अरविन्द कुमार जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त निर्देशों का नियमित अनुश्रवण कराये जाने हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि श्री इमरान उल्ला, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-08/पीएस/एएजी/एएलडी दिनॉक 28-4-2015 के संदर्भ में इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-24/2015 की प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ प्रेषित ।

संलग्नक-यथोपरि ।